FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

जीयो देवी बनाम भोगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 128 RLR Act नं 397 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/01/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 14/02/2022 को पेश हो।	
14/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल गैरहाजिर। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित [signature]	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेखा [illegible] धाई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ़ व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढ़ो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली बअमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

न्याया...
क्रमांक / वाद / 2022 / /622
प्रार्थी

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1623 दिनांकः– 14/2/22

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. जीयों देवी पत्नी उमाराम जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. जोगाराम पुत्र मेहराराम वगैरा 12 जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 397 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – बायतु चिमनजी, पटवार मण्डल – बायतु चिमनजी, तहसील – बायतु के खेत खसरा नं. 986 / 548 रकबा 2.1034 हैक्टयर व मौजा – रामसरिया पटवार हल्का – बायतु भोपजी तहसील – बायतु, जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 626 / 457 रकबा 6.8037 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1624–28 दिनांकः– 14/2/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्रीमती जीयों देवी पत्नी उमाराम
4 विप्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र मेहराराम वगैरा 12
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु